

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

संशोधित :: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाडुवास व भू अभिलेख निरीक्षक वेमासी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाडुवास पटवार हल्का लाडुवास तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2076-78 में खाता संख्या 376, 569, 673, 94 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	लाडुवास	376 569 673 94	शमशेर लाल पिला मोहन लाल उर्फ शमशेर लाल कलक फुल नाना लाल	रमेशचन्द्र कलक फुल नाना लाल जोशी उर्फ रमेशचन्द्र पिला मोहन लाल

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- 15/02/2022

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 24

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र कलक फुल नाना लाल जोशी उर्फ रमेशचन्द्र पिला मोहन लाल (आठवा)

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

2022/448